भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1363
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एससी/एसटी के खिलाफ होने वाले अपराध

†1363. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ हुए अपराधों का वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के बारे में अलग से आंकड़े रखती है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ हुए अपराधों को रोकने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए उठाए गए कदमों/ की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, अनुसूचित जातियों (अ.जा.) महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) महिलाओं के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

जनता के बीच उनके बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में जागरूकता में वृद्धि होने, पुलिस तक पहुंच और जवाबदेही में वृद्धि होने, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण तथा वर्ष 2015 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (पीओए), 1989 के तहत नए अपराधों को शामिल करने आदि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', 'राज्य सूची' के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने, पीड़ितों के पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों का होता है, जो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। भारत सरकार देश भर में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं राज्य सरकारों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध को रोकने में सहयोग करती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए प्रमुख कदम अधोलिखित है:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत उपधारणा क्षेत्र और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयो और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना अब आवश्यक नहीं है।

लोक सभा अता. प्र.स. 1363 दिनांक 11.02.2025

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है, जिसका उद्देश्य उनकी शिकायतों का निवारण करना और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन अधिनियमों, नियमों और इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत (एनएएलएसए) के साथ भी सहयोग लिया गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह देता रहा है। ये परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिसिंग बुनियादी ढांचे से सुसज्जित पुलिस कर्मियों को तैनात करने की सलाह भी दी है।

इसके अलावा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989” के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, “नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955” तथा “अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989”, के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास।

(iv) अंतर-जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

(v) जागरूकता सृजन।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 1363 दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामले

क्र. स..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियाँ			अनुसूचित जनजातियाँ		
		2020	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	1950	2014	2315	320	361	396
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0
3	असम	28	15	14	10	16	9
4	बिहार	7368	5842	6509	94	103	146
5	छत्तीसगढ़	316	330	323	502	506	516
6	गोवा	2	4	8	2	5	1
7	गुजरात	1326	1201	1279	291	341	330
8	हरियाणा	1210	1628	1633	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	251	244	210	3	7	4
10	झारखंड	666	546	674	347	250	283
11	कर्नाटक	1398	1673	1977	293	361	438
12	केरल	846	948	1050	130	133	172
13	मध्य प्रदेश	6899	7214	7733	2401	2627	2979
14	महाराष्ट्र	2569	2503	2743	663	628	742
15	मणिपुर	0	0	0	2	0	1
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	5	0	0	29
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	2046	2327	2902	624	676	773
20	पंजाब	165	200	162	4	0	0
21	राजस्थान	7017	7524	8752	1878	2121	2521
22	सिक्किम	0	2	3	0	1	4
23	तमिलनाडु	1274	1377	1761	23	39	67
24	तेलंगाना	1959	1772	1787	573	512	545
25	त्रिपुरा	2	3	2	2	0	3
26	उत्तर प्रदेश	12714	13146	15368	3	4	5
27	उत्तराखंड	87	123	114	13	6	1
28	पश्चिम बंगाल	109	108	104	90	92	90
	कुल (राज्य)	**50202**	**50744**	**57428**	**8268**	**8790**	**10055**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	2	3	3
30	चंडीगढ़	3	0	4	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1	0	0	0	3	5
32	दिल्ली	69	136	130	1	5	0
33	जम्मू और कश्मीर	7	13	11	0	1	1
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	0
36	पुदुचेरी	9	7	9	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**89**	**156**	**154**	**4**	**12**	**9**
	कुल (अखिल भारत)	**50291**	**50900**	**57582**	**8272**	**8802**	**10064**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

लोक सभा अता. प्र. सं. 1363 दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) महिलाओं के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामले

क्र. स..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020				2021				2022			
		महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास
1	आंध्र प्रदेश	192	78	110	7	208	83	135	4	245	113	144	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	13	0	30	1	2	0	117	0	30	0	161	1
5	छत्तीसगढ़	42	4	113	0	45	0	103	0	49	2	122	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
7	गुजरात	69	0	116	0	59	0	120	0	53	0	129	0
8	हरियाणा	174	9	195	9	270	20	234	9	253	18	245	8
9	हिमाचल प्रदेश	3	1	14	0	3	0	13	0	6	0	8	0
10	झारखंड	44	1	31	0	42	1	16	2	28	0	12	8
11	कर्नाटक	184	1	124	0	204	3	190	1	283	3	204	0
12	केरल	140	16	140	3	166	6	209	0	252	8	192	3
13	मध्य प्रदेश	699	4	509	0	634	3	564	2	613	10	589	0
14	महाराष्ट्र	460	5	351	0	455	8	395	0	488	12	462	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	103	1	182	1	126	1	225	0	7	0	192	0
20	पंजाब	11	1	24	0	20	1	20	2	14	0	12	0
21	राजस्थान	566	5	476	57	616	2	566	67	676	11	658	70
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	40	0	116	3	34	0	123	2	92	0	166	0
24	तेलंगाना	88	13	225	2	98	21	256	1	112	41	277	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	534	0	604	6	752	0	559	9	939	0	646	4
27	उत्तराखंड	0	1	5	1	3	0	18	0	1	1	17	4
28	पश्चिम बंगाल	5	0	2	0	5	1	2	1	2	0	0	0
	कुल (राज्य)	**3367**	**140**	**3368**	**90**	**3742**	**150**	**3866**	**100**	**4143**	**221**	**4237**	**104**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	5	4	3	0	22	7	4	0	17	5	3	0
33	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**6**	**4**	**4**	**0**	**22**	**7**	**4**	**0**	**17**	**5**	**4**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**3373**	**144**	**3372**	**90**	**3764**	**157**	**3870**	**100**	**4160**	**226**	**4241**	**104**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

अनुलग्नक-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाओं के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामले

क्र. स..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020				2021				2022			
		महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	महिलाओं की शालीनता का अपमान	बलात्कार	बलात्कार करने का प्रयास
1	आंध्र प्रदेश	43	10	27	0	45	13	34	8	50	30	29	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0
5	छत्तीसगढ़	58	5	195	1	46	1	208	0	70	2	212	1
6	गोवा	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
7	गुजरात	28	0	48	0	19	0	76	0	17	1	58	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	13	1	16	0	7	1	11	0	9	0	9	0
11	कर्नाटक	39	0	29	0	42	1	48	0	92	2	51	1
12	केरल	22	1	20	0	31	3	32	0	36	2	43	1
13	मध्य प्रदेश	297	1	339	1	308	2	376	0	314	2	359	0
14	महाराष्ट्र	173	0	129	0	182	1	145	0	163	3	176	0
15	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	30	0	114	4	16	0	122	0	10	0	131	0
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	134	1	119	10	135	0	149	12	198	2	163	9
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	1	0	3	0	2	0	6	0	7	0	14	0
24	तेलंगाना	40	3	84	3	39	5	103	1	40	20	86	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0
28	पश्चिम बंगाल	1	2	4	6	7	1	5	3	4	0	6	3
	कुल (राज्य)	**883**	**24**	**1136**	**25**	**881**	**29**	**1323**	**25**	**1021**	**64**	**1347**	**16**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**885**	**24**	**1137**	**25**	**881**	**29**	**1324**	**25**	**1022**	**64**	**1347**	**16**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया